न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 88 / 2017

1 श्रीमती लाली देवी पत्नी रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ढाणी बूजा की तन मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती रेशमी देवी पत्नी घीसा
2 श्रीमती मिनकी पत्नी चिमन
समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी टीबा की तन मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 ज्ञानाबाई पत्नी हनुमानसिंह
4 मोहनकंवर पुत्री नारायणसिंह
5 सोहनकंवर पुत्री नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 गीता देवी पत्नी पालाराम जाति माली निवासी ढाणी काकड की तन मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7 शान्ति बेवा मांगुराम जाति माली निवासी ढाणी काकड की तन मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 भगवती देवी उर्फ भग्गुकंवर पत्नी उमराव सिंह
9 समुन्द्र सिंह पुत्र उमराव सिंह
10 मोहन सिंह पुत्र उमराव सिंह
समस्त जाति राजपुत निवासी मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11 गीता पत्नी रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ढाणी बूजा की तन मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
12 राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह
13 महेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 गिरधारी सिंह पुत्र भंवरसिंह
15 जितेन्द्र सिंह पुत्र रणजीतसिंह
16 देवेन्द्र सिह पुत्र रणजीतसिंह
17 सुरेश सिंह पुत्र रणजीतसिंह
18 राजकंवर पुत्री रणजीतसिंह
19 राजेश कंवर पुत्री रणजीतसिंह
20 रमेश कंवर पुत्री रणजीतसिंह
21 रघुवीर सिंह पुत्र करणसिंह
22 विक्रमसिंह पुत्र सुमेरसिंह पुत्र मगनसिंह
23 सुरेन्द्र सिंह पुत्र मगनसिंह
24 विजय सिंह पुत्र मगन सिंह
25 अन्तर कंवर पुत्री मगनसिंह
26 अनिता कंवर पुत्री मगनसिंह
27 पप्पूकंवर पुत्री मगन सिंह
28 कमलेश कंवर बेवा भंवरसिंह पुत्र सवाईसिंह
29 महेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह
30 भुपेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह
31 मोनू सिंह पुत्र भंवरसिंह
32 विजेन्द्र सिंह पुत्र सवाईसिंह
33 विक्रमसिंह पुत्र सवाईसिंह
34 मांगुकंवर पुत्री सवाईसिंह
35 माफकंवर बेवा हरिसिंह
36 राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
37 देवेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
38 धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
39 सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलादसिंह
40 लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
41 रणवीरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
42 सौभाग कंवर पुत्री प्रहलादसिंह
43 राजेन्द्र सिंह पुत्री उगमसिंह
44 माली देवी बेवा चतरसिंह
45 हरपाल सिंह पुत्र चतरसिंह
46 पुष्पाकंवर पुत्री चतरसिंह

मु.प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

47 सरोज कंवर पुत्री चतरसिंह
48 मैना कंवर पुत्री चतरसिंह
49 बलराम सिंह पुत्र सुल्तान सिंह
50 विक्रम सिंह पुत्र सुल्तान सिंह
51 विरूसिंह पुत्री सुल्तान सिंह
52 सुमन कंवर पुत्री सुल्तान सिंह
53 लाली कंवर पुत्री सुल्तान सिंह
54 सायर सिंह पुत्र सांवतसिंह
55 भूपसिंह पुत्र फूलसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

56 हंसा देवी पत्नी धर्मपाल गुर्जर
57 मेवा देवी पत्नी महावीर प्रसाद गुर्जर
58 विजेश देवी पत्नी श्योदान गुर्जर
59 सुन्दर देवी पत्नी झण्डूराम गुर्जर
60 मुकेश देवी पत्नी रोहिताश गुर्जर

समस्त जाति गुर्जर निवासी कांकड की तन मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

61 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिकी दिनांक
05.09.2017 दावा उनवानी श्रीमती रेशमी देवी
आदि बनाम ज्ञानबाई आदि दावा संख्या 132/2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील संख्या 89/2017

1 श्रीमती लाली देवी पत्नी रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ढाणी बूजा की तन मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती रेशमी देवी पत्नी घीसा
2 श्रीमती मिनकी पत्नी चिमन
समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी टीबा की तन मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 ज्ञानाबाई पत्नी हनुमानसिंह
4 मोहनकंवर पुत्री नारायणसिंह
5 सोहनकंवर पुत्री नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 गीता देवी पत्नी पालाराम जाति माली निवासी ढाणी काकड की तन मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7 शान्ति बेवा मांगुराम जाति माली निवासी ढाणी काकड की तन मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 भगवती देवी उर्फ भग्गुकंवर पत्नी उमराव सिंह
9 समुन्द्र सिंह पुत्र उमराव सिंह
10 मोहन सिंह पुत्र उमराव सिंह
समस्त जाति राजपुत निवासी मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11 गीता पत्नी रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ढाणी बूजा की तन मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
12 राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह
13 महेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 गिरधारी सिंह पुत्र भंवरसिंह
15 जितेन्द्र सिंह पुत्र रणजीतसिंह
16 देवेन्द्र सिह पुत्र रणजीतसिंह
17 सुरेश सिंह पुत्र रणजीतसिंह
18 राजकंवर पुत्री रणजीतसिंह
19 राजेश कंवर पुत्री रणजीतसिंह
20 रमेश कंवर पुत्री रणजीतसिंह
21 रघुवीर सिंह पुत्र करणसिंह
22 विक्रमसिंह पुत्र सुमेरसिंह पुत्र मगनसिंह
23 सुरेन्द्र सिंह पुत्र मगनसिंह
24 विजय सिंह पुत्र मगन सिंह
25 अन्तर कंवर पुत्री मगनसिंह
26 अनिता कंवर पुत्री मगनसिंह
27 पप्पूकंवर पुत्री मगन सिंह
28 कमलेश कंवर बेवा भंवरसिंह पुत्र सवाईसिंह
29 महेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह
30 भुपेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह
31 मोनू सिंह पुत्र भंवरसिंह
32 विजेन्द्र सिंह पुत्र सवाईसिंह
33 विक्रमसिंह पुत्र सवाईसिंह
34 मांगुकंवर पुत्री सवाईसिंह
35 माफकंवर बेवा हरिसिंह
36 राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
37 देवेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
38 धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
39 सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलादसिंह
40 लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
41 रणवीरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
42 सौभाग कंवर पुत्री प्रहलादसिंह
43 राजेन्द्र सिंह पुत्री उगमसिंह
44 माली देवी बेवा चतरसिंह
45 हरपाल सिंह पुत्र चतरसिंह
46 पुष्पाकंवर पुत्री चतरसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

47 सरोज कंवर पुत्री चतरसिंह
48 मैना कंवर पुत्री चतरसिंह
49 बलराम सिंह पुत्र सुल्तान सिंह
50 विक्रम सिंह पुत्र सुल्तान सिंह
51 विरूसिंह पुत्री सुल्तान सिंह
52 सुमन कंवर पुत्री सुल्तान सिंह
53 लाली कंवर पुत्री सुल्तान सिंह
54 सायर सिंह पुत्र सांवतसिंह
55 भूपसिंह पुत्र फूलसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
56 हंसा देवी पत्नी धर्मपाल गुर्जर
57 मेवा देवी पत्नी महावीर प्रसाद गुर्जर
58 विजेश देवी पत्नी योदान गुर्जर
59 सुन्दर देवी पत्नी झण्डूराम गुर्जर
60 मुकेश देवी पत्नी रोहिताश गुर्जर
समस्त जाति गुर्जर निवासी कांकड की नम ावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
61 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले
दावा उनवानी श्रीमती रेशमी देवी बनाम ज्ञान बाई आदि
दावा संख्या 132/2016
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मणसिंह , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांक:–

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 132/2016 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2017 व 18.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 454, 461, 463, 464, 856, 942 वाके ग्राम मावण्डा कलां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीलें प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी व अबैंटमेंट पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 भवंरी देवी का दिनांक 13.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 16 देवेन्द्र सिंह का दिनांक 11.03.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 32 विजेन्द्र सिंह का दिनांक 10.09.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 35 माफकंवर का सन 2019 में रेस्पोडेन्ट संख्या 55 भूपसिंह का दिनांक 06.05.2024 को स्वर्गवास हो गया है परन्तु अपीलार्थीया ने आज तक इनकी मृत्यु के 90 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इनके वारिसानों को बतौर कायम मुकाम रिकार्ड पर नहीं लिए है। इस कारण अपील अपीलार्थी अबैट हो चुकी है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मद संख्या 1 आवेदन सही है स्वीकार है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 8 भगवती देवी को मरे हुए सात साल हो चुके है। जिनके समय पर कायम मुकाम नहीं बनाये जाने के कारण अपील अबैट हो चुकी है। मद संख्या 2 आवेदन कर्तइ गलत अस्वीकार है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 16 देवेन्द्र सिंह के अनिता कंवर नाम की कोई पत्नी नहीं है तथा ना ही राजेश व रमेश नाम के पुत्र है एवं देवेन्द्र सिह के केवल एक पुत्र संतान है जो करीबन 50–60 सालों से ग्राम मावंडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कलां में नही रह रहे है। अप्रार्थीया ने रेस्पोडेन्ट संख्या 16 देवेन्द्र सिंह के वारिसों का काल्पनिक नाम व पता आवेदन में अंकित किया है। जिसे भी मरे हुये 7 साल हो चुके है इसलिए अपील अबैट किये जाने योग्य है। मद संख्या 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 32 विजेन्द्र सिंह को मरे हुये करीब 07 साल हो चुके है इस कारण अपील अबैट हो चुकी है। इसके अलावा यह परिवार भी विगत 70 सालों से ग्राम मावंडा कलां में निवास नही कर रहा है तथा स्व विजेन्द्र सिंह के कोई पुत्र सन्तान नहीं है। किसी को गोद लेना जरूर सुना है प्रार्थीया ने मद हाजा में काल्पनिक वारिसों के नाम अंकित किया है। मद संख्या 4 आवेदन में रेस्पोडेन्ट संख्या 35 माफ कंवर पत्नी हरिसिंह कोनसी तारीख व वाद को फौत हुई अंकित नहीं किया है। जिसे भी मरे हुये करीब 6, $6^1/_2$ हो चुके है और विशेष बात यह है कि इसके कोई जायंदा पुत्र अथवा पुत्री ही नहीं है। किसी को गोद लेना जरूर सुना हुआ है और यह परिवार भी ग्राम मांवडा कला में विगत 70 सालों से नही रह रहा है। मद संख्या 5 आवेदन में रेस्पोडेन्ट संख्या 41 रणवीर सिंह को स्वर्गवास कोनसा साल, कौनसा महीना, व कौनसी तारीख को हुआ अंकित नहीं किया हुआ है जिसका अंकन किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 41 का पत्नी जिन्दा है जिसे विधिक वारिसों में शामिल नहीं किया गया है तथा स्व. रणवीर सिंह के कोई पुत्र संतान नहीं है। कुलदीप सिंह काल्पिनिक पुत्र अंकित किया गया है। इसके तीन पुत्रियां ही है परन्तु इनमें से मद हाजा में वर्णित रेणु, रिंकु, टिंकु नाम किसी का भी नहीं है। तीनों पुत्रियों शादीशुदा है। जो अपने–अपने ससुराल में रहती है जिन्हें मांवडा कला का निवासी होना कतई गलत अंकित किया गया है। मद संख्या 6 रेस्पोडेन्ट संख्या 55 भूपसिंह कोनसी साल में, कोनसी महिना, व कोनसी तारीख को फौत हुआ अंकित नहीं किया गया है। जिसे कानूनन अंकित किया जाना अतिआवश्यक है एवं भूपसिंह के कुल 10 पुत्र एवं पुत्रियां है तथा भूपसिंह की बेवा भी जिन्दा है। जो सभी 11 व्यक्ति भूपसिंह के विधिक वारिसान है। जिन्हें कायम मुकाम बनाया जाना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अतिआवश्यक है। इसके अलावा इस परिवार को भी गांव मांवडा कला को छोड़े हुये करीब 60–70 साल हो चुके है। मद संख्या 6 आवेदन कतई गलत है अस्वीकार है। अपीलार्थीया ने रेस्पोडेन्ट संख्या 16, 32, 35, 41 एवं 55 के वारिसों के काल्पनिक एव पते अंकित कर अधुरे एवं अनावश्यक व्यक्तियों को वारिस बनाकर आवेदन पेश किया है जो विशेष हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। मद संख्या 6 अंकित तहरीर की गई है कतई गलत है अस्वीकार है पत्रावली विगत साढे सात साल से तामील में ही चल रही है एवं अधिकांश रेस्पोडेन्ट फौत हयु करीब 07 साल हो चुके है। अपीलार्थीया विगत 07 सालों से गलत पते पर तामील करवा रही है इसलिए इनकी तामील नहीं हो सकी और अतः पुनः इनके गलत एवं अधुरे वारिसों का गलत पता अंकित कर आवेदन प्रस्तुत किया है। जो विशेष हर्जा खर्चा सहित खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 8 भगवती देवी उर्फ भगु कंवर पत्नी उमराव सिंह जाति राजपूत का देहान्त दिनांक 13.07.2018, रेस्पोडेन्ट संख्या 16 देवेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह का देहान्त दिनांक 11.03.2021, रेस्पोडेन्ट संख्या 32 विजेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह का देहान्त दिनांक 10.09.2018, रेस्पोडेन्ट संख्या 35 माफ कंवर पत्नी हरिसिंह का देहान्त सन 2019 में, रेस्पोडेन्ट संख्या 41 रणवीर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह , रेस्पोडेन्ट संख्या 55 भूपसिंह पुत्र फूलसिंह का देहान्त हो गया है। जिसके वारिसों का विवरण संलग्न है। अपील हाजा में अपीलान्ट स्वयं प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उसकी ओर से उसका वकील ही न्यायालय में पैरवी करता आ रहा है मुकदमें हाजा में उपरोक्त रेस्पोडेन्टान की मृत्यु की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई व जब उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपीलान्ट अपने वकील से मिली तो वकील जी ने पूछा कि प्रकरण के पक्षकार की किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है तब अपीलान्ट ने बताया कि उपरोक्त रेस्पोडेन्टान की मृत्यु हो चुकी है जिस पर आज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अविलंब अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है अपीलान्ट अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश की महिला होने के कारण तथा अपीलान्ट को उनके वकील के प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में हर तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने की वजह से मृ. रेस्पोडेन्टस की मृत्यु की जानकारी नहीं होने की वजह से मृतक रेस्पोडेन्टस की मृत्यु की जानकारी नहीं होने से पूर्व में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में जानबुझकर कोई गलती नहीं की है बल्कि मजबूरीवश ही हुई है जिसके लिए प्रार्थीया को मियाद का फायदा दिया जाना आवश्यक है प्रार्थीया को मियाद का फायदा दिये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीया के हितों की रक्षा के लिए व न्याय निर्णय के लिए प्रार्थीया को मियाद का फायदा दिया जाना न्यायाहित में उचित एवं आवश्यक है मुकदमें हाजा में मृतक रेस्पोडेन्टान के विरूद्ध अपील अबैट होना मान्य करे तो अबैटमेंट निरस्त किये जाने हेतु भी प्रार्थीया प्रार्थना करते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 भवंरी देवी का दिनांक 13.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 16 देवेन्द्र सिंह का दिनांक 11.03.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 32 विजेन्द्र सिंह का दिनांक 10.09.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 35 माफकंवर का सन 2019 में रेस्पोडेन्ट संख्या 55 भूपसिंह का दिनांक 06.05.2024 को स्वर्गवास हो गया है परन्तु अपीलार्थीया ने आज तक इनकी मृत्यु के 90 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इनके वारिसानों को बतौर कायम मुकाम रिकार्ड पर नहीं लिए है।

अपीलान्ट द्वारा जो कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट का एतराज है कि अपीलार्थीया ने रेस्पोडेन्ट संख्या 16, 32, 35, 41 एवं 55 के वारिसों के काल्पनिक नाम एवं पते अंकित कर अधुरे एवं अनावश्यक व्यक्तियों को वारिस बनाकर आवेदन पेश किया है। रेस्पोडेन्ट की इस आपत्ति का अपीलान्ट द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 16, 32, 35, 41 एवं 55 की फौतगी पर निर्धारित समयावधि में कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा मृत पक्षकारों के वास्तविक विधिक वारिसान का नाम व पता भी अंकित नहीं किया गया है। इससे प्रकट होता है कि अपीलान्ट प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अबैट घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अबैट होने से खारिज की जाती है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए आगामी एक माह में अपीलान्ट C.A. नये सिरे से मृत पक्षकारो के वास्तविक विधिक वारिसान का नाम व पता अंकित कर अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 29/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर